कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री बाबूलाल मीना पुत्र श्री शान्ति लाल मीना निवासी ग्राम बादियाला मोड ढाबा जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा

अपील सं0 02/2019

<u>निर्णय</u> दिनांक 30.01.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा से दिनांक 11.04.2018,13.04.2018,12.05.2018,21.05.2018,28.06.2018 एवं 08.09.2018 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा द्वारा अपने पत्रांक 5107 दिनांक 24.07.2018 द्वारा जो सूचना भिजवाई गई है वह बिना प्रमाणित व मांगी गई सूचना अपीलांट को नहीं मिलने से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा से निर्धारित अवधि तक वॉछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात पत्रावली में अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 30.01.2019 निर्धारित की गई। किंतु लोक सूचना अधिकारी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0) कलक्ट्रेट, दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा